

आखिरी जांच: 26 सितंबर 2026

महाराष्ट्र में नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें

नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र उप विभागीय अधिकारी देते हैं। आवेदन आपले सरकार पोर्टल पर होता है। हमारे जांचे हुए आधिकारिक पन्नों में फीस का उल्लेख नहीं है।

आवेदन: ऑनलाइन

फीस: हमारे जांचे हुए आधिकारिक स्रोत में इसका उल्लेख नहीं है

समय: 21 दिन (तय समय)

आधिकारिक पोर्टल: राजस्व विभाग, महाराष्ट्र शासन

आधिकारिक स्रोत में उल्लेख नहीं है। हमारे जांचे हुए आधिकारिक पन्नों में इस सेवा की फीस नहीं है: सेवा पेज पर नहीं, आवेदन फॉर्म पर नहीं, और इसके लिए फीस और चेकलिस्ट PDF भी नहीं है। LABHLO अंदाज़ा नहीं लगाता।

आधिकारिक स्रोत में उल्लेख नहीं है। इस सेवा के लिए कोई आधिकारिक प्रक्रिया दस्तावेज़ नहीं है। नीचे के चरण सेवा पेज (कागज़ात, Apply, Track) और आवेदन फॉर्म से लिए गए हैं। पोर्टल की स्क्रीन के अनुसार चलें।

आधिकारिक स्रोत में उल्लेख नहीं है। हमारे जांचे हुए आधिकारिक पन्नों में इस प्रमाणपत्र की आय सीमा या अन्य शर्तें नहीं बताई गई हैं। LABHLO कोई आंकड़ा नहीं देता।

आधिकारिक स्रोतों में फ़र्क है। पोर्टल के सेवा पेज और आधिकारिक आवेदन फॉर्म में कागज़ात की सूची अलग है। पेज पर चार तरह के प्रमाण हैं। फॉर्म में जाति के कई तरह के प्रमाण और कुछ आवेदकों के लिए अतिरिक्त कागज़ात हैं। हम फॉर्म की सूची दिखा रहे हैं।

सीधा जवाब

आपले सरकार पोर्टल पर Non Creamy Layer Certificate सेवा खोलें, कागज़ात की सूची पढ़ें, आवेदन (नया या नवीनीकरण) भरें, कागज़ात जोड़ें और जमा करें। सेवा देने वाले अधिकारी उप विभागीय अधिकारी हैं और तय समय 21 दिन है। आवेदन देखने के लिए Application ID संभालकर रखें। हमारे जांचे हुए आधिकारिक पन्नों में फीस नहीं बताई गई है, इसलिए पोर्टल की भुगतान स्क्रीन पढ़ें।

शुरू करने से पहले क्या चाहिए

- OTP के लिए मोबाइल नंबर और आपले सरकार पोर्टल पर खाता
- जाति का प्रमाण और आय का प्रमाण (नीचे सूची देखें)
- फॉर्म के लिए परिवार की वेतन, व्यवसाय, ज़मीन और अन्य स्रोतों से आय का ब्योरा
- पहले के नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र का ब्योरा, अगर नवीनीकरण कर रहे हैं

चरण दर चरण

- सेवा पेज खोलें और कागज़ात पढ़ें।** आपले सरकार पोर्टल पर Non Creamy Layer का सेवा पेज खोलें और शुरू करने से पहले ज़रूरी कागज़ात की सूची पढ़ें।
- लॉगिन करें या पंजीकरण करें।** पोर्टल पर लॉगिन करें। खाता न हो तो अपने मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें।
- Non Creamy Layer Certificate सेवा चुनें।** राजस्व विभाग की सेवाओं की सूची में Non Creamy Layer Certificate ढूंढें और Apply चुनें।
- आवेदन भरें।** नया या नवीनीकरण चुनें। अपना ब्योरा, लाभार्थी का ब्योरा और परिवार का व्यवसाय और आय भरें। बताएं कि आप आयकर या संपत्ति कर देते हैं या नहीं।
- घोषणा मानें और कागज़ात जोड़ें।** स्व घोषणा मानें, जिसमें लिखा है कि जानकारी सही है, और पहचान, पते, जाति और आय के प्रमाण जोड़ें।
- जमा करें और Application ID लिख लें।** आवेदन जमा करें और पोर्टल भुगतान मांगे तो भुगतान करें। मिला हुआ Application ID लिख लें।

कागज़ात

पहचान का प्रमाण (कोई एक)

- मतदाता पहचान पत्र

- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- RSBY कार्ड
- आधार कार्ड
- सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था का पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड

पते का प्रमाण (कोई एक)

- मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- 7/12 और 8A का उतारा, या किराए की रसीद
- टेलीफोन बिल
- राशन कार्ड
- संपत्ति कर की रसीद

आपकी जाति का प्रमाण (फॉर्म में दी गई सूची के अनुसार)

- जाति लिखा हुआ स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- जाति लिखा हुआ स्कूल का बोनाफाइड प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित प्रति
- अशिक्षित हों तो जन्म पंजीकरण का उतारा
- सरपंच, स्थानीय पुलिस या नगरसेवक का जाति और निवास प्रमाणपत्र
- जाति के लिए शपथपत्र

आय का प्रमाण (फॉर्म में दी गई सूची के अनुसार)

- वेतनभोगी, स्वरोज़गार या व्यवसायी हों तो पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
- किसान या मज़दूर हों तो तहसीलदार का 3 वर्षों का आय प्रमाणपत्र
- पिछले 3 वर्षों की आय बताने वाला शपथपत्र

फॉर्म में ये अलग अलग तरह के आवेदकों के लिए विकल्प के रूप में दिए गए हैं। जो आप पर लागू हो वही चुनें।

अतिरिक्त कागज़ात, केवल जब आप पर लागू हों

- संपत्ति कर की रसीद
- पिता की जाति का प्रमाण न हो तो: रिश्तेदार का जाति प्रमाणपत्र और वंशावली शपथपत्र
- दूसरे राज्य या जिले से आए हों तो: वहां के सक्षम प्राधिकारी का पिता का जाति प्रमाणपत्र
- विवाहित महिला हों तो: विवाह से पहले का जाति प्रमाण, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र और नाम बदलने की राजपत्र अधिसूचना
- मुस्लिम हों तो: तहसीलदार की जांच रिपोर्ट, या पंजीकृत मुस्लिम संस्था का जाति प्रमाणपत्र

आवेदन के बाद

- आवेदन इस सेवा के नामित अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी के पास जाता है।
- सेवा में देरी हो या इनकार हो तो अपील कर सकते हैं। पहली अपील अपर कलेक्टर को और दूसरी कलेक्टर को जाती है।
- अपने आवेदन को देखने के लिए आपले सरकार पोर्टल पर Track your Application चुनें और आवेदन करते समय मिला Application ID डालें।
- प्रमाणपत्र असली है या नहीं जांचने के लिए पोर्टल पर Verify Your Authenticated Certificate चुनें और उस पर छपा बारकोड मान डालें।
- लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 के तहत सेवाओं के सवाल के लिए आप चौबीस घंटे चलने वाले टोल फ्री नागरिक कॉल सेंटर 1800 120 8040 पर फोन कर सकते हैं।

आधिकारिक पोर्टल: <https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en>

आधिकारिक स्रोत: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/Login/Certificate_Documents?ServiceId=1286

LABHLO: <https://labhlo.in/hi/guides/maharashtra-non-creamy-layer-certificate/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी मंच है। यह मार्गदर्शिका आधिकारिक स्रोत का सारांश है, सरकारी दस्तावेज़ नहीं। नियम, फीस और वेबसाइट बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल देख लें।